न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 19/2025 **दायर दिनांकः 19.03.2025**

उनवान

1. गोपाली आयु 57 वर्ष पत्नी श्रवण जाति माली निवासी मोटूका तहसील अटरू जिला बारां

प्रार्थिया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :–

प्रार्थिया :–विद्वान अभिभाषक श्री हरीश गालव

अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनाकः 28.04.2025**

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल मोटूका तहसील अटरु जिला बारां (राज.) में खाता संख्या 18 का खसरा नं. 114 का रकबा 0.57 हैक्टर कुल किता 1 का रकबा 0.57 हैक्टर आराजी प्रार्थिया के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही है । नक़ल जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिले गौर है। प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम गोपाली पत्नी श्रवण के स्थान पर गोपाली पुत्री श्रवण दर्ज हो गया है जो कि गलत अंकित है। जबकि सही नाम गोपाली पत्नी श्रवण है जो कि उसके आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र आदि दस्तावेजो में भी गोपाली पत्नी श्रवण नाम ही दर्ज है। उक्त समस्त दस्तावेजात प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, जो काबिले गौर है। प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित आराजी में राजस्व कर्मचारीगणों द्वारा की गई त्रुटि को प्रार्थिया दुरुस्त करवा कर गोपाली पत्नी श्रवण (पुत्री के स्थान पर पत्नी) दर्ज करवाने की अधिकारिणी है। अप्रार्थी के अधीनस्थ कर्मचारीगणों के दवारा किये गए गफलत एवं लापरवाही पूर्वक कार्य से प्रार्थिया का नाम गोपाली पुत्री श्रवण कर देने से प्रार्थिया को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जमाबन्दी एवं अन्य दस्तावेजों में नाम भिन्न भिन्न होने से प्रार्थिया बैंक से कृषि ऋण प्राप्त नही कर पा रही है और न ही अन्य कृषि योजनाओं

इत्यादि का लाभ प्राप्त कर पा रही है। प्रार्थिया ने अप्रार्थी से नाम दुरुस्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दी । प्रार्थना पत्र पत्र की मद न. 1 में वर्णित भूमि में हो रही त्रुटि को प्रार्थिया दुरुस्त करवा कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने की अधिकारिणी है, बिना सहायता न्यायालय राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त करवाया जाना संभव नहीं है, अस्तु माननीय न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है । राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार होने से उसे अप्रार्थी बनाया गया है। आराजी ग्राम/माल मोटूका तहसील अटरु जिला बारां (राज.) में होने से माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र को सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेंगे ।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की मद न. 1 में वर्णित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी ग्राम/माल मोटूका में खाता संख्या 18 का खसरा न. 114 का रकबा 0.57 हैक्टर कुल किता 1 का रकबा 0.57 हैक्टर में प्रार्थिया का नाम गोपाली पुत्री श्रवण के स्थान पर गोपाली पत्नी श्रवण दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान किये जाने की कृपा करें ।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/1133 दिनांक 25.04.2025 को शामिल फाईल किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थिया की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थिया की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल मोटूका पटवार हल्का बमोरी सम्वत 2071–74 खाता संख्या 18, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जॉब कार्ड, परिवार राशन कार्ड, बैंक पास बुक, जन आधार कार्ड व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल मोटूका पटवार हल्का बमोरी तहसील अटरू जिला बारां (राज.) में खाता संख्या 18 का खसरा नं. 114 का रकबा 0.57 हैक्टर कुल किता 1 का रकबा 0.57 हैक्टर आराजी में गोपाली पुत्री श्रवण के स्थान पर गोपाली पत्नी श्रवण किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल मोटूका पटवार हल्का बमोरी तहसील अटरू जिला बारां (राज.) में खाता संख्या 18 का खसरा नं. 114 का रकबा 0.57 हैक्टर कुल किता 1 का रकबा 0.57 हैक्टर आराजी में गोपाली पुत्री श्रवण के स्थान पर गोपाली पत्नी श्रवण दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

यह निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां